पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0)

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्सः 0771–2263234

ई–मेलः healthuniversitycg@yahoo.com

वेबसाइट–www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F- /NS-01 /विकास/DUHS/2017/10938 रायपुर, दिनांक– 15-12-17

निविदा आमंत्रण

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह हेतु स्वर्ण मंडित पदक (गोल्ड मेडल) का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए पदकों का निर्माण करने वाले संस्था/फर्मो से सीलबंद निविदा निर्धारित प्रपत्र में कुलसचिव पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छ.ग. रायपुर के नाम से दिनांक 21.12.2017 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म नियम व शर्ते इत्यादि विश्वविद्यालय के वेबसाइट–www.cghealthuniv.com पर उपलब्ध है जिसे निविदाकर्ता डाऊनलोड कर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं ।

विश्वविद्यालय में निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि **21.12.2017** अपरान्ह **1.00** बजे तक

निविदा खोलने एवं प्रस्तुतीकरण की तिथि..................**21.12.2017**. अपरान्ह **3.00** बजे (स्थान विश्वविद्यालय का सभा कक्ष कमांक **18**)

कुलसचिव

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति

स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़, रायपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

जी.ई. रोड, रायपुर

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

Ph/Fax: 0771-2263234
Website:www.cghealthuniv.com

फार्म नम्बर :
निविदा फार्म का मूल्य रू. 500.00
वि.वि.रसीद कमांक –
दिनांक –

स्वर्ण पदक निर्माण करने हेतु निविदा प्रपत्र

कं.	कार्य का विवरण	समस्त कर सहित पदक का मूल्य /दर
1	50 ग्राम शुद्ध चांदी हाल मार्क 999 के,पदक का व्यास 2.5 इंच होगा जिसमें हुग लगा होगा।	रू. .... प्रति पदक
2	प्रत्येक पदक पर गोल्ड पालिस होगा।	
3	पदक के एक ओर विश्वविद्यालय का नाम एवं मोनोग्राम तथा दूसरी ओर पदकदाता का नाम, छात्र का नाम, कक्षा का नाम,एवं वर्ष की खुदाई सुलेख अक्षरो में होगी।	

नोट :–

हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम एवं सील

नियम व शर्ते :–

01. पदक का नमूना विश्वविद्यालय के विकास विभाग में देखा जा सकता है।
02. निविदा के साथ अमानत राशि रू 5,000.00 का बैक ड्राफ्ट कुलसचिव पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छ.ग. रायपुर के नाम से संलग्न करना होगा।
03. दर अनुमोदन पश्चात् पचास रूपये के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध के बाद ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

04. सीलबंद लिफाफे के ऊपर ''स्वर्ण पदक निर्माण''2018 लिखा होना चाहिए।

05. निविदाकर्ता/फर्म का आयकर पेन नंबर कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

06. चांदी का शुद्धता फर्म को प्रमाणित करनी होगी। पदक हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूची अनुसार पदक तैयार होने के बाद जांच कराने हेतु लाने ले जाने की व्यवस्था फर्म को करनी होगी। अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा। त्रुटि को सुधारकर अंतिम रूप से पदक तैयार कर देना होगा।

07. निविदा सीलबंद लिफाफे में कुलसचिव, पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छ.ग.रायपुर के नाम से स्पीड–पोस्ट के माध्यम से दिनांक 21.12.2017 तक कार्यालयीन समय तक स्वीकार किये जावेंगें।

08. कार्य आदेश के पश्चात् पदक तैयार कर विश्वविद्यालय में 20 दिवस के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। नमूने के तौर पर पहले एक पदक विश्वविद्यालय को बनाकर दिखाना होगा तथा अनुमोदन पश्चात् समस्त पदक तैयार कर विश्वविद्यालय को समय सीमा के अंदर प्रदाय करना होगा।

09. मुद्रण का कार्य कर सामाग्री विश्वविद्यालय द्वारा कार्य/प्रदाय आदेश में उल्लेखित एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत समयावधि में पूर्ण करना होगा।

10. मुद्रित कर प्रदायित सामाग्री की वांछित गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराया जा सकता है। यदि मुद्रित सामाग्री संबंधित विभाग के उपयोग लायक नहीं होगा तो मुद्रक को संबंधित देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रदायित सामाग्री यदि नमूना के अनुरूप संतोषप्रद नहीं पाया गया या फिर फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के कयादेश की मात्रा के अनुरूप प्रदाय नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा, कि निविदाकर्ता फर्म की अमानत राशि को जप्त करते हुए, फर्म को काली सूची में डाल दिया जावेगा।

12. किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता फर्म को सामाग्री का प्रदाय/कार्य संपादन विश्वविद्यालय के कार्य/कय आदेश के अनुरूप पूर्ण करने के पूर्व अग्रिम भुगतान या आंशिक भुगतान की पात्रता नहीं होगा।

13. अंतिम रूप से निविदा स्वीकार होने के पूर्व यदि निविदाकर्ता निविदा वापस लेना चाहे अथवा जिनकी दरें कय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होगी उनकी अमानत राशि आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के मूलतः वापस लौटा दी जावेगी।

14. विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में दी गई नियम व शर्तें में संशोधन करने, अतिरिक्त शर्त जोड़ने एवं विश्वविद्यालय हित में किसी नियम/शर्त में शिथिल करने का पूर्ण विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं निविदाकर्ता पर बंधनकारी रहेगा।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कुलसचिव